ए.

सत्यनाथ और ए. एन. आर.

बनाम

सरोजमानी

(2022 की सिविल अपील संख्या 3680)

बी.

06 मई, 2022

[हेमंत गुप्ता और वी**.** रामसुब्रमण्यन**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:या. 14 आर 2-सभी मुद्दों पर निर्णय देने के लिए न्यायालय-प्रत्यर्थी के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा घोषणा के लिए मुकदमा-प्रत्यर्थी द्वारा यू/या मुद्दों को तैयार करने के लिए आवेदन। XIV आर 2 (2), उन्हें प्रारंभिक मुद्दों के रूप में मानने के लिए-निचली विचारण न्यायालय द्वारा खारिज-पुनरीक्षण याचिका में, उच्च न्यायालय ने निचली विचारण न्यायालय को प्रारंभिक मुद्दे को तैयार करने का निर्देश जारी किया कि क्या मुकदमा विचारण न्यायालय की स्थिरता द्वारा वर्जित है।टिकाऊ नहीं-यदि मुद्दा कानून और तथ्य का मिश्रित मुद्दा है, या कानून का मुद्दा तथ्य के निर्णय पर निर्भर करता है, तो ऐसे मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता है-प्रारंभिक मुद्दे वे हो सकते हैं जहां किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है और वाद या लागू कानून को पढ़ने के आधार पर, यदि न्यायालय की अधिकारिता या मुकदमे पर रोक लगाई जाती है, तो न्यायालय ऐसे मुद्दों का निर्णय शीघ्र निर्णय के एकमात्र उद्देश्य के साथ कर सकता है-उच्च न्यायालय का निचली विचारण न्यायालय को न्यायिक निर्णय के मुद्दे पर प्रारंभिक मुद्दा तैयार करने का निर्देश देने का आदेश पक्षकारों के बीच तर्क का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए वांछनीय नहीं है-या। XIV r.2 उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन सभी मुद्दों पर निर्णय देने के लिए न्यायालय को अनिवार्य करने वाले हितकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए-हालांकि, यदि एक ही मुकदमे में कानून और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी हिस्से का निपटारा केवल कानून के मुद्दे पर किया जा सकता है, तो वह पहले उस मुकदमे का प्रयास कर सकता है, यदि यह विचारण न्यायालय की अधिकारिता या किसी भी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे पर रोक से संबंधित है जो उस समय लागू है-यह केवल उन परिस्थितियों में है कि अन्य मुद्दों पर

निष्कर्षों को स्थगित किया जा सकता है-रेस जुडिकाटा कानून और तथ्य का एक मिश्रित सवाल है जो पक्षकारों, वाद के पक्षों आदि की दलीलों पर निर्भर करता है। XIV r 2, और अपास्त करना गया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

46 ए.

47

सत्यनाथ और ए. एन. आर. बनाम.सरोजमानी ए

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** आदेश **XIV** नियम **2** सी**.** पी**.** सी**.** के प्रावधान प्रक्रियात्मक कानून का हिस्सा हैं, लेकिन तथ्य यह है कि इस तरह के प्रक्रियात्मक कानून को एल**.** आई**.** एस**.** का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था और प्रारंभिक मुद्दे पर निष्कर्षों को दरकिनार करने की स्थिति में रिमांड की संभावना से बचा जा सकता है, जैसा कि अपरिवर्तित आदेश **XIV** नियम **2** से पहले की भाषा थी।यदि मुद्दा कानून और तथ्य का मिश्रित मुद्दा है, या कानून का मुद्दा तथ्य के निर्णय पर निर्भर करता है, तो इस तरह के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता है।दूसरे शब्दों में, प्रारंभिक मुद्दे वे हो सकते हैं जहां किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है और वाद या लागू कानून को पढ़ने के आधार पर, यदि न्यायालय की अधिकारिता या वाद पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो न्यायालय ऐसे मुद्दों पर शीघ्र निर्णय के एकमात्र उद्देश्य के साथ निर्णय ले सकता है।इस प्रकार, यदि न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है या कोई वैधानिक प्रतिबंध है, तो इस तरह के मुद्दे पर पहली बार में निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि वादियों द्वारा दीवानी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग न किया जाए, जो झूठे बहाने पर कार्यवाही में देरी करने के लिए दीवानी न्यायालय का रुख कर सकते हैं।**[**पैरा **20] [61-**जी**-**एच**; 62-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

डी.

1.2 निचली विचारण न्यायालय को न्यायिक प्रक्रिया के मुद्दे पर प्रारंभिक मुद्दा तैयार करने का निर्देश देने का उच्च न्यायालय का आदेश पक्षों के बीच कानूनी प्रक्रिया के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए वांछनीय नहीं है।संहिता के आदेश **XIV** नियम **2** का हितकारी उद्देश्य था जो न्यायालय को उप-नियम **(2)** के प्रावधानों के अधीन सभी मुद्दों पर निर्णय देने के लिए अनिवार्य करता है।तथापि**,** यदि एक ही वाद में विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि के मुद्दे पर किया जा सकता है**,** तो वह पहले उस वाद का परीक्षण कर सकता है**,** यदि वह न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है या उस समय लागू किसी कानून द्वारा बनाए गए वाद पर रोक है। केवल उन्हीं परिस्थितियों में अन्य मुद्दों पर निष्कर्षों को स्थगित किया जा सकता है।यह विवादित नहीं है कि न्यायनिर्णयन पक्षकारों**,** वाद के पक्षकारों आदि की दलीलों के आधार पर कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है। यह केवल कानून में एक याचिका नहीं है या जो न्यायालय की अधिकारिता को प्रतिबंधित करती है या उप-नियम **(2)** के खंड **(**बी**)** के तहत एक वैधानिक बाधा है।**[**पैरा **31] [66-**ई**-**जी**]**

ई.

एफ.

जी.

1.3 आदेश एक्स**.** एल**.** आई**.** नियम **24** और **25** के प्रावधानों का उद्देश्य यह है कि यदि निचली विचारण न्यायालय द्वारा सभी पर साक्ष्य दर्ज किया जाता है

एच.

यह पहले अपीलीय न्यायालय को मुद्दों में सुधार करके भी तथ्य के प्रश्नों का निर्णय करने में सुविधा प्रदान करेगा।यह केवल तभी होता है जब पहली अपीलीय विचारण न्यायालय को पता चलता है कि पक्षों के नेतृत्व में कोई सबूत नहीं है**,** तो पहली अपीलीय विचारण न्यायालय पक्षों को ऐसे अतिरिक्त मुद्दों पर या तो अपीलीय विचारण न्यायालय के समक्ष या निचली विचारण न्यायालय के समक्ष सबूत पेश करने के लिए कह सकती है।कानून के ऐसे सभी प्रावधान और संशोधन एक उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए हैं**,** यानी पक्षों के बीच समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना।**[**पैरा **32] [66-**जी**-**एच**; 67-**ए**]**

बी.

1.4 प्रारंभिक मुद्दों पर निर्णय के बाद मामले को वापस भेजने की संभावना से बचने के लिए उप-नियम **(2)** के प्रतिस्थापन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए**,** आदेश **XIV** नियम **2** और

आदेश **XX** नियम **5** के तहत निचली न्यायालय के लिए और आदेश **XLI** नियम **24** और **25** के संदर्भ में पहली अपीलीय न्यायालय के लिए सभी मुद्दों पर निष्कर्ष दर्ज करना अनिवार्य है।**[**पैरा **33] [67-**बी**]**

सी.

1.5 प्रारंभिक मुद्दों को तैयार करने के लिए मामले को निचली विचारण न्यायालय को भेजने का उच्च न्यायालय का आदेश संहिता के आदेश **XIV** नियम **2** के जनादेश के विपरीत है और इस प्रकार**,** कानून में टिकाऊ नहीं है।निचली न्यायालय सभी मुद्दों पर निष्कर्ष दर्ज करेगी ताकि पहली अपीलीय न्यायालय को इस तरह से दर्ज किए गए निष्कर्षों का लाभ मिल सके और यदि मुकदमे का फैसला केवल प्रारंभिक मुद्दे पर किया जाता है तो रिमांड की संभावना को नजरअंदाज कर दिया जाए।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करना दिया जाता है।**[**पारस **34** और **35] [67-**सी**-**डी**]**

डी.

ई.

एल. आर. द्वारा जामिया मस्जिद बनाम के. वी. रुद्रप्पा (मृत होने के बाद से)

ओआरएस। 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 792; रमेश बी. देसाई और

ओआरएस**.** वी**.**बिपिन वादिलाल मेहता और अन्य। **(2006) 5** एस**.** सी**.** सी**. 638**

:[2006] 3 पूरक।एससीआर 414; मेजर एस. एस. खन्ना बनाम ब्रिगेडियर।एफ. जे. डिलन एयर 1964 एस. सी. 497:[1964] एससीआर 409; सुन्नी

एफ.

केंद्रीय वक्फ बोर्ड और अन्य।गोपाल सिंह विश्राम और अन्य। एयर 1991 ऑल 894; पृथ्वी राज झिंगटा और अन्न बनामगोपाल सिंह और अन्न। ए. आई. आर. 2007 एच. पी. 11; हरद्वारी लाल बनाम पोहकर मल और अन्य। ए. आई. आर. 1978 पी एंड एच 230; धीरेंद्रनाथ चंद्र बनाम अपूर्बा कृष्ण चंद्र और अन्य। ए. आई. आर. 1979 पैट 34; उषा सेल्स लिमिटेड बनाम.मैल्कम

जी.

गोम्स और ओआरएस। एयर 1984 बम 60; श्रीमती. अरुणा कुमारी

v. अजय कुमार AIR 1991 J & K 1; सरदार अमरजीत सिंह कालरा (मृत) एल. आर. एस. बनामए द्वारा प्रमोद गुप्ता (श्रीमती) (मृत)

एच.

सत्यनाथ और ए. एन. आर. बनाम.सरोजमानी ए

एल. आर. एस. और एन. आर. (2003) 3 एससीसी 272:[2002] 5 पूरक।एससीआर

350; कैलाश बनाम नन्हकू और अन्य। **(2005) 4** एससीसी **480:[2005] 3** एस**.** सी**.** आर**. 289;** सुगंधी बनाम पी**.** राजकुमार **(2020) 10** एस**.** सी**.** सी**. 706;** ए**.** षण्मुगम बनाम अरिया क्षत्रिय राजकुला वामसथु मदालय नंदवन परिपलनाई संगम

& ओआरएस। (2012) 6 एससीसी 430:[2012] 4 एससीआर 74; अब्दुल

बी.

रहमान बनाम प्रसॉनी बाई और अन्र। **(2003) 1** एससीसी **488:[2002] 4** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 260;** श्रीहरि हनुमंतस टोटला बनाम हेमंत विट्ठल कामत और अन्य। **(2021) 9** एससीसी **99 -**

संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

सी.

[1964] एससीआर **409**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

एयर **1991** ऑल **894**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

एयर **2007** एच**.** पी**. 11**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

एयर **1978** पी एंड एच **230**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

डी.

ए. आई. आर. **1979** पैट **34**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

एयर **1984** बम **60**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

ए. आई. आर. **1991** जे. एंड के **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

[2006] 3 पूरक।एस. सी. आर. **414** पैरा **15 [2002] 5** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. **350** पैरा **17 [2005] 3** एस. सी. आर. **289** पैरा **18 (2020) 10** एस. सी. सी. **706** पैरा **19 [2012] 4** एस. सी. आर. **74** पैरा **21 [2002] 4** सप्लीमेंट को संदर्भित किया गया है।एस. सी. आर. **260** पैरा **23 (2021) 9** एस. सी. सी. **99** पैरा **23** को संदर्भित

ई.

एफ.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 3680।

जी.

सी. आर. पी. में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 03.09.2021 से। (पी. डी.) 2021 की सं. 680।

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. पी. पार्थिबन, ए. एस. वैरावन, आर. सुधाकरन, विकास कुमार, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

एच.

सिद्धार्थ नायडू, एम/एस केएसएन एंड कंपनी के लिए वी. बालचंद्रन, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. वर्तमान अपील में चुनौती दिनांक 1 के एक आदेश को दी गई है, जिसके तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में, निचली विचारण न्यायालय को प्रारंभिक मुद्दा तैयार करने का निर्देश दिया गया था कि क्या मुकदमा विचारण न्यायालय द्वारा वर्जित है।2. वादी-अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थी , उनकी पैतृक चाची के खिलाफ 2016 की ओ. एस. संख्या 95 दायर की।अपीलार्थियों ने अपीलार्थियों को वाद संपत्ति का पूर्ण स्वामी घोषित करने के लिए एक घोषणा, 2003 की ओ. एस. संख्या 65 में निर्णय और डिक्री को अमान्य घोषित करने और प्रतिवादी और उनके एजेंटों को किसी भी तरह से वाद संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे और आनंद को बाधित करने में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दावा किया।प्रारंभ में, प्रतिवादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 1 के आदेश VII नियम 11 के तहत शिकायत को अस्वीकार करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, लेकिन इसे निचली विचारण न्यायालय ने 20.6.2017 पर खारिज कर दिया था।इसके बाद, प्रतिवादी ने निम्नलिखित को प्रारंभिक मुद्दों के रूप में मानने के लिए संहिता के आदेश XIV नियम 2 (2) के तहत मुद्दों को तैयार करने के लिए एक आवेदन दायर कियाः

बी.

सी.

डी.

ई.

“1. क्या मुकदमा न्यायनिर्णयन और निरोध द्वारा प्रभावित नहीं है जैसा कि प्रतिवादी द्वारा पैरा-10 और 11 में लिखित बयान में दावा किया गया है। 2.क्या मुकदमा न्यायिक निर्णय और निरोध द्वारा प्रभावित नहीं है जैसा कि पैरा-12 में लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा दावा किया गया है।

3. क्या मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित नहीं है जैसा कि पैरा-13 में लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा संतुष्ट किया गया है।

एफ.

4. क्या वादी ने जानबूझकर और जानबूझकर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, जैसा कि प्रतिवादी ने पैरा-15 और 16 में लिखित बयान में कहा है।

5. क्या वाद का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है और न्यायालय शुल्क का भुगतान कम है जैसा कि प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन के पैरा 18 में दावा किया गया है।"

जी.

3. विद्वान विचारण विचारण न्यायालय ने 3.10.2019 पर प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया।विद्वत विचारण विचारण न्यायालय के इस तरह के आदेश को चुनौती दी विद्वान थी

1 संक्षेप में, 'कोड' ए

एच.

51

सत्यनाथ और ए. एन. आर. बनाम.सरोजमानी [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पुनरीक्षण याचिका जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक मुद्दे के रूप में न्यायिक निर्णय के मुद्दे को तैयार करने का आदेश दिया था।

4. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने के लिए संहिता के आदेश XIV नियम 2 के प्रावधानों पर भरोसा किया कि इस तरह के आदेश XIV नियम 2 को 1976 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 104 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसके तहत न्यायालय को सभी मुद्दों पर निर्णय देने के लिए अनिवार्य किया गया है, भले ही मुकदमे का निपटारा प्रारंभिक मुद्दे पर किया जा सके।यह तर्क दिया गया था कि कार्यवाही के निपटारे में देरी से बचने के लिए इस तरह के संशोधन की आवश्यकता थी क्योंकि यदि केवल एक प्रारंभिक मुद्दे का निर्णय लिया जाता है, तो आगे की अपील और संशोधन को केवल प्रारंभिक मुद्दे के खिलाफ प्राथमिकता दी जाएगी और प्रारंभिक मुद्दे के पक्ष में निर्णय लेने के बाद वादी को शेष मुद्दों पर साक्ष्य देना होगा।इसलिए, कार्यवाही का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने और अपीलीय या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र द्वारा रिमांड की संभावना से बचने के लिए, न्यायालय के लिए सभी मुद्दों पर कारण दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया था।इस तरह के निष्कर्ष अपीलीय या पुनरीक्षण स्तर पर रिमांड की संभावना को मिटा देंगे, भले ही प्रारंभिक या अन्य मुद्दों पर निष्कर्ष को उलट दिया जाए।

बी.

सी.

डी.

5. 1976 के अधिनियम संख्या 104 द्वारा संशोधन से पहले आदेश XIV नियम 2 इस प्रकार हैः

"आर. 2.जहां एक ही वाद में विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि के मुद्दों पर किया जा सकता

है, तो वह पहले उन मुद्दों का परीक्षण करेगा और उस उद्देश्य के लिए, यदि वह उचित समझता है, तो तथ्य के मुद्दों के निपटारे को तब तक स्थगित कर सकता है जब तक कि विधि के मुद्दों का निर्धारण नहीं हो जाता है।"

ई.

एफ.

6. मेजर एस. एस. खन्ना बनाम ब्रिगेडियर के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में उक्त प्रावधान इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया।एफ. जे. डिलन 2.यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संहिता के आदेश 14 नियम 2 के तहत जहां एक ही वाद में कानून और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी भी हिस्से का निपटारा केवल कानून के मुद्दों पर किया जा सकता है, वह पहले उन मुद्दों का परीक्षण करेगा, और तथ्य के मुद्दों के निपटारे को तब तक स्थगित कर देगा जब तक कि कानून के अन्य मुद्दों का निर्धारण नहीं हो जाता है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः"18. .....सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 2 के तहत, जहां एक ही मुकदमे में कानून और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं, और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी भी हिस्से का निपटारा किया जा सकता है।

जी.

2 आकाशवाणी 1964 एससी 497

एच.

केवल विधि के मुद्दों पर, वह पहले उन मुद्दों का परीक्षण करेगा, और उस उद्देश्य के लिए, यदि वह उचित समझता है, तो तथ्य के मुद्दों के समाधान को तब तक स्थगित कर सकता है जब तक कि विधि के मुद्दों का निर्धारण नहीं हो जाता है।तथ्य के मुद्दों के अलावा कानून के मुद्दों का परीक्षण करने की अधिकारिता का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब न्यायालय की राय में पूरे मुकदमे का निपटान केवल कानून के मुद्दों पर किया जा सकता है, लेकिन संहिता प्रारंभिक मुद्दों के रूप में कानून और तथ्य के मिश्रित मुद्दों पर मुकदमे का परीक्षण करने के लिए न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है।आम तौर पर एक मुकदमे में सभी मुद्दों को न्यायालय द्वारा चलाया जाना चाहिएःऐसा न करने के लिए, विशेष रूप से जब कानून के मुद्दों पर निर्णय तथ्य के मुद्दों के निर्णय पर निर्भर करता है, तो मुकदमे का एकतरफा परीक्षण होगा।"

बी.

सी.

7. 1976 के अधिनियम संख्या 104 द्वारा नियम 2 के प्रतिस्थापन के बाद आदेश XIV नियम 2,1.4.1977 से प्रभावी, इस प्रकार हैः

“2.अदालत सभी मुद्दों पर फैसला सुनाएगी।—(1) इसके बावजूद कि किसी प्रारंभिक मुद्दे पर किसी मामले का निपटारा किया जा सकता है, न्यायालय, उपनियम (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाएगा।

डी.

(2) जहां एक ही वाद में विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि के मुद्दे पर किया जा सकता है, तो वह पहले उस मुद्दे का परीक्षण कर सकता है यदि वह मुद्दा -

ई.

((क) न्यायालय की अधिकारिता, या

(ख) तत्काल प्रवृत्त किसी विधि द्वारा बनाए गए वाद पर रोक, और उस प्रयोजन के लिए, यदि वह उचित समझता है, तो अन्य मुद्दों के निपटारे को तब तक स्थगित कर सकता है जब तक कि उस मुद्दे का निर्धारण नहीं हो जाता है, और उस मुद्दे पर निर्णय के अनुसार वाद से निपट सकता है।”

एफ.

8. संहिता के कुछ अन्य प्रावधान, जो पूर्व निर्धारित अपील में उठाए गए मुद्दों को तय करने के लिए प्रासंगिक हैं, निम्नानुसार हैंः

“आदेश XX

जी.

न्याय और निर्णय

“5. न्यायालय प्रत्येक मुद्दे पर अपना निर्णय बताएगा।– जिन मुकदमों में मुद्दे बनाए गए हैं, न्यायालय प्रत्येक अलग मुद्दे पर अपने निष्कर्ष या निर्णय को, उसके कारणों के साथ बताएगी, जब तक कि ए

एच.

मुकदमे के निर्णय के लिए किसी एक या अधिक मुद्दे पर निर्णय लेना पर्याप्त है।

आदेश XLI

मूल निर्णयों से आवेदन

24. जहां अभिलेख पर साक्ष्य पर्याप्त है, अपीलीय न्यायालय अंततः मामले का निर्धारण कर सकता है।- जहां अभिलेख पर साक्ष्य, अपीलीय न्यायालय को निर्णय सुनाने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है, वहां अपीलीय न्यायालय, यदि आवश्यक हो तो मुद्दों का पुनर्निर्धारण करने के बाद, अंत में वाद का निर्धारण कर सकता है, इसके बावजूद कि जिस न्यायालय की डिक्री से अपील की जाती है, उसका निर्णय पूरी तरह से उस आधार के अलावा किसी अन्य आधार पर आगे बढ़ा है जिस पर अपीलीय न्यायालय आगे बढ़ता है।

बी.

सी.

25. जहाँ अपीलीय न्यायालय मुद्दों को तैयार कर सकता है और उन्हें मुकदमे के लिए उस न्यायालय को भेज सकता है जिसके आदेश से अपील की गई हो।- जहां उस न्यायालय ने, जिसकी डिक्री से अपील को प्राथमिकता दी गई है, किसी भी मुद्दे को तैयार करने या परीक्षण करने या तथ्य के किसी भी प्रश्न का निर्धारण करने में चूक की है, जो योग्यता के आधार पर वाद के सही निर्णय के लिए अपीलीय न्यायालय को आवश्यक प्रतीत होता है, तो अपीलीय न्यायालय, यदि आवश्यक हो, मुद्दों को तैयार कर सकता है और उसे उस न्यायालय को परीक्षण के लिए भेज सकता है, जिसकी डिक्री से अपील को प्राथमिकता दी जाती है, और ऐसे मामले में ऐसे न्यायालय को आवश्यक अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश देगा।

डी.

ई.

और ऐसा न्यायालय ऐसे मुद्दों का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ेगा, और साक्ष्य को अपने निष्कर्षों और उसके कारणों के साथ अपीलीय न्यायालय को ऐसे समय के भीतर वापस कर देगा जो अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाए या उसके द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जाए।”9. आदेश XIV का संशोधित प्रावधान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष एक फैसले में विचार के लिए आया।

एफ.

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य के रूप में।गोपाल सिंह विश्राम और

ओआरएस। 3 यह अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता के आदेश XIV नियम 2 को प्रतिस्थापित करके भौतिक परिवर्तन किए गए थे।अपरिवर्तित प्रावधान में 'विल' शब्द को

प्रतिस्थापित प्रावधान में 'मे' शब्द से बदल दिया गया है, इसलिए, अब यह न्यायालय के लिए विवेकाधीन है कि वह कानून के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय करे, या अन्य मुद्दों के साथ इसका फैसला करे।यह भी कहा गया कि कानून के सभी मुद्दों को भी प्रारंभिक मुद्दों के रूप में तय नहीं किया जा सकता है और केवल कानून के वे मुद्दे जो इसके अंतर्गत आते हैं।

जी.

3 ए. आई. आर. 1991 ऑल 89

एच.

नियम 2 के उप-नियम (2) के खंड (ए) और (बी) की सीमा तय की जा सकती है।उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

“22. उपरोक्त प्रावधान के तहत एक बार जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मामले या उसके किसी भी हिस्से का निपटारा केवल कानून के मुद्दों पर किया जा सकता है, तो वह पहले उन मुद्दों का परीक्षण करने के लिए बाध्य थी और अन्य मुद्दों को उसके बाद ही लिया जा सकता था, अगर आवश्यकता बनी रही।न्यायालय को इस मामले में कोई विवेकाधिकार नहीं था।यह "यह उन मुद्दों को पहले देखेगा" शब्द के उपयोग से आता है।संशोधित ओ. 14, आर. 2 द्वारा कानूनी स्थिति में भौतिक परिवर्तन लाया गया है जो इस प्रकार हैः—

बी.

XXX

XXX

XXX

सी.

24. पुराने ओ. 14, आर. 2 में उपयोग किए गए शब्द "विल" को वर्तमान नियम में "मे" शब्द से बदल दिया गया है।इस प्रकार अब न्यायालय के लिए यह विवेकाधीन है कि वह कानून के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय करे या अन्य मुद्दों के साथ इसका फैसला करे।न्यायालय के लिए अब प्रारंभिक मुद्दे के रूप में कानून के मुद्दे पर निर्णय लेना अनिवार्य नहीं है।25. संशोधित प्रावधान द्वारा लाया गया एक और बदलाव यह है कि कानून के सभी मुद्दों को प्रारंभिक मुद्दों के रूप में तय नहीं किया जा सकता है।केवल कानून के उन मुद्दों को प्रारंभिक मुद्दों के रूप में तय

किया जा सकता है जो सी. एल. एस. के दायरे में आते हैं।(ए) और (बी) उप-आर।(2) ओ. 14 के आर. 2 का।क्लॉ. (ए) "न्यायालय की अधिकारिता" का उल्लेख करता है और खंड (बी) "उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे के लिए बाधा" से संबंधित है।" वर्तमान मामले में सीएल।((a) आकर्षित नहीं होता है।मामले को सी. एल. के दायरे में लाने की मांग की गई है।(बी)।इसे सी. एल. के अंतर्गत लाने के लिए।(ख) सीमा अधिनियम और मुस्लिम वक्फ अधिनियम लागू किए गए हैं।"

डी.

ई.

एफ.

10. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने एक फैसले में

पृथ्वी राज झिंगटा और अन्न बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया।गोपाल सिंह और अन्न। **4,** आयोजित

निम्नानुसारः"8. विधायी जनादेश बहुत स्पष्ट और असंदिग्ध है।अतीत के अनुभव के आलोक में कि पुराना नियम 2 जिसके द्वारा, विचारण न्यायालय की तथ्य-स्थिति में केवल प्रारंभिक मुद्दों पर निर्णय लेना और न तो अन्य मुद्दों पर प्रयास करना और न ही निर्णय लेना, जब भी निर्णय के खिलाफ अपील अपील न्यायालय और अपील न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी, यह निष्कर्ष निकालने पर कि निचली अदालत का निर्णय

जी.

4 एयर 2007 एचपी 11 ए

एच.

55

सत्यनाथ और ए. एन. आर. बनाम.सरोजमानी [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

प्रारंभिक मुद्दों को उलट दिया जाना चाहिए था, प्रति बल मामले को अन्य मुद्दों पर मुकदमे के लिए निचली न्यायालय में भेजा जाना था।इसके परिणामस्वरूप मामलों के निपटारे में देरी हुई। इस विलम्ब को समाप्त करने और मुकदमों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, मुकदमे के स्तर के साथ-साथ अपील के स्तर पर, विधायिका ने एक तंत्र प्रदान करने का निर्णय लिया, जिसके तहत उप-नियम (2) के तहत बनाए गए अपवाद के अधीन, कानून और तथ्य दोनों के सभी मुद्दों पर एक साथ निर्णय लेने की आवश्यकता थी और मुकदमे को समग्र रूप से निपटाया जाना था, निश्चित रूप से सभी मुद्दों, कानून और तथ्य दोनों पर निचली न्यायालय के निष्कर्षों के आधार पर।

बी.

9. इसके लिए उपरोक्त कारणों के आधार पर, और नियम 2 की विधायी पृष्ठभूमि के साथ-साथ विधायी इरादे के साथ-साथ ऐसी पृष्ठभूमि पर आधारित जनादेश के साथ-साथ इसके स्पष्ट अध्ययन के आधार पर, हमें अपने दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि उप-नियम (2) के तहत कथित या वारंट की गई स्थितियों को छोड़कर, जहां एक न्यायालय वास्तव में पहली बार में केवल कानून के मुद्दों को तैयार करता है और उप-नियम (1) के तहत अन्य मुद्दों के निपटारे को स्पष्ट और स्पष्ट रूप से स्थगित करता है, ऐसी स्थितियों में जहां न्यायालय ने कानून के साथ-साथ तथ्यों दोनों के सभी मुद्दों को एक साथ तैयार किया है और इन सभी मुद्दों पर एक साथ प्रयास भी किया है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के लिए पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाना और पहले कानून के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना खुला नहीं है।कार्रवाई का यह तरीका किसी न्यायालय के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि उपनियम (1) न्यायालय को पृथकता के ऐसे किसी भी सिद्धांत को अपनाने और केवल प्रारंभिक मुद्दों पर या जिन्हें कानून के मुद्दे कहा जा सकता है, किसी मुकदमे का निपटारा करने की अनुमति नहीं देता है।उप-नियम (1) स्पष्ट रूप से यह आदेश देता है कि इसके तहत विचार की गई स्थिति में, जहां सभी मुद्दों को एक साथ तैयार किया गया है और मुकदमे के दौरान निर्णय के लिए भी लिया गया है, इन पर एक साथ निर्णय लिया जाना चाहिए और मुकदमे में समग्र रूप से निर्णय न्यायालय द्वारा मुकदमे में बनाए गए सभी मुद्दों को शामिल करते हुए सुनाया जाना चाहिए।"

सी.

डी.

ई.

एफ.

11. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने एक फैसले में हरद्वारी लाल बनाम पोहकर मल और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया। 5 ने संशोधन से पहले और बाद में आदेश XIV नियम 2 के प्रावधान की तुलना की और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

जी.

"5. उक्त प्रावधान का तुलनात्मक अध्ययन जैसा कि संशोधन के लिए पहले मौजूद था और संशोधन के बाद का प्रावधान स्पष्ट रूप से पढ़ा जाएगा।

एच.

5 एयर 1978 पी एंड एच 230

यह इंगित करता है कि किसी मुद्दे पर विचार और प्रारंभिक मुद्दे के रूप में इसके निपटान की अनुमति अब केवल सीमित मामलों में दी गई है।असंशोधित संहिता में, वर्गीकरण केवल कानून और तथ्य के मुद्दों के बीच था और न्यायालय के लिए पहली बार में कानून के मुद्दों का परीक्षण करना और तथ्य के मुद्दों के निपटारे को तब तक स्थगित करना अनिवार्य था जब तक कि कानून के मुद्दों का निर्धारण नहीं हो जाता।दूसरी ओर, संशोधित प्रावधान में न्यायालय को एक आदेश दिया गया है कि प्रारंभिक मुद्दे पर किसी मामले का निपटारा किए जाने के बावजूद, न्यायालय को सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाना होगा।इसका एकमात्र अपवाद उप-नियम (2) में निहित है।यह उप-नियम न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्रदान करके सीमित सीमा तक जनादेश में ढील देता है कि यदि यह राय है कि मामले या उसके किसी हिस्से का निपटारा "केवल कानून के मुद्दे पर" किया जा सकता है, तो वह पहले उस मुद्दे का परीक्षण कर सकता है।इस विवेकाधिकार का प्रयोग आगे इस आकस्मिकता तक सीमित है कि इस तरह से मुकदमा चलाया जाने वाला मुद्दा न्यायालय की अधिकारिता या किसी लागू कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे से संबंधित होना चाहिए।”

बी.

सी.

डी.

12. पटना उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने एक फैसले में बताया कि

धीरेंद्रनाथ चंद्र बनाम अपूर्बा कृष्ण चंद्र और अन्य के रूप में। 6.

यह अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही किसी प्रारंभिक मुद्दे पर मामले का निपटारा किया जा सकता है, न्यायालय सभी मुद्दों पर निर्णय देने के लिए बाध्य है, जो उपनियम (2) के प्रावधान के अधीन है, जिसके अनुसार यदि मामले या उसके किसी हिस्से का निपटारा केवल कानून के मुद्दे पर किया जा सकता है और यदि वह मुद्दा अदालत की अधिकारिता या उस समय लागू कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे पर रोक से संबंधित है, तो न्यायालय पहले ऐसे मुद्दे पर विचार कर सकता है।उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ई.

“6. आर. 2 के एक सादे पठन से पता चलेगा कि आम तौर पर भले ही मामले को प्रारंभिक मुद्दे पर निपटाया जा सके, न्यायालय सभी मुद्दों पर निर्णय देने के लिए बाध्य है।यह सामान्य नियम केवल एक अपवाद के अधीन है जिसका उप-नियम (2) में प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार यदि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल कानून के मुद्दे पर किया जा सकता है और यदि कानून का वह मुद्दा न्यायालय की अधिकारिता या उस समय लागू किसी

कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे पर रोक से संबंधित है तो न्यायालय पहले ऐसे मुद्दे पर विचार कर सकती है।अतः यह स्पष्ट है कि आर. 2 के उप-नियम (1) में उपबंधित सामान्य नियम से न्यायालय द्वारा केवल उप-नियम (2) में उल्लिखित परिस्थितियों में और यहां तक कि इन परिस्थितियों में भी विचलन किया जा सकता है।

एफ.

जी.

6 ए. आई. आर. 1979 पैट 34 ए

एच.

57

सत्यनाथ और ए. एन. आर. बनाम.सरोजमानी [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

परिस्थितियों में न्यायालय को केवल यह विवेकाधिकार है कि वह अन्य मुद्दों को तैयार करने से पहले प्रारंभिक मुद्दे के रूप में उपनियम (2) के खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित बिंदुओं से संबंधित कानून के मुद्दे का परीक्षण कर सकता है।हालाँकि, उप-नियम (2) में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी राय में न्यायालय के लिए सभी मामलों में पहले इस तरह के मुद्दे का परीक्षण करना अनिवार्य बनाता है।यदि, इसलिए, न्यायालय की राय है कि किसी विशेष मामले में सभी मुद्दों का एक साथ परीक्षण करना अधिक समीचीन होगा और इसलिए, यदि वह सी. एल. एस. में निर्दिष्ट बिंदुओं पर भी कानून के किसी भी मुद्दे का प्रयास करने और निर्णय लेने से इनकार करता है। (क) और (ख) उप-नियम (2) अन्य मुद्दों को उठाने से पहले एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में।

बी.

XXXX "

सी.

13. बॉम्बे हाईन्यायालय की एकल पीठ ने एक फैसले में बताया कि

उषा सेल्स लिमिटेड बनाम।मैल्कम गोम्स और ओआरएस। 7 ने माना कि इसके बाद

संशोधन, न्यायालय पर एक कर्तव्य डाला जाता है कि उसे सभी मुद्दों की सुनवाई करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और उसी पर निर्णय सुनाना चाहिए, सिवाय इसके कि न्यायालय प्रारंभिक मुद्दे के रूप में न्यायालय की अधिकारिता या मुकदमे के कानूनी अवरोध से संबंधित किसी मुद्दे का परीक्षण कर सकता है।इसे कर्तव्य के बजाय विवेक की प्रकृति में अधिक माना जाता था।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

डी.

“11. उपरोक्त से यह आसानी से देखा जा सकता है कि न्यायालय पर एक दायित्व डाला गया है कि भले ही किसी प्रारंभिक मुद्दे पर किसी मामले का निपटारा किया जा सके, लेकिन न्यायालय सभी मुद्दों पर उप-नियम (2) के प्रावधान के अधीन निर्णय सुनाएंगे।दूसरे शब्दों में, एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में कानून के प्रश्न का निर्णय करने का दायित्व यदि वह निर्णय मामले या मामले के हिस्से का निपटारा करता है, तो अब नहीं है।इसी तरह, किसी भी अन्य मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय करने का विवेकाधिकार न्यायालय से पूरी तरह से छीन लिया गया है।दूसरी ओर, न्यायालय पर एक कर्तव्य डाला गया है कि उसे सभी मुद्दों को सुनने और उसी पर निर्णय देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।12. हालाँकि, उपरोक्त प्रावधान में एक छोटा सा अपवाद है।न्यायालय न्यायालय की अधिकारिता या वाद पर कानूनी रोक से संबंधित किसी मुद्दे का प्रारंभिक मुद्दे के रूप में परीक्षण कर सकता है, लेकिन यह एक कर्तव्य के बजाय विवेक की प्रकृति में अधिक है और न्यायालय उप-आर में निहित प्रावधान के बावजूद किसी भी मुद्दे का परीक्षण करने के लिए बाध्य नहीं है।(2) संहिता के ओ. 14 के आर. 2 का।"यह कोशिश कर सकता है" शब्द स्पष्ट रूप से इस तथ्य का संकेत देते हैं कि विवेकाधिकार दिया गया है।

ई.

एफ.

जी.

7 एयर 1984 बम 60

एच.

न्यायालय को और किसी भी मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय करने का कोई कर्तव्य न्यायालय पर नहीं डाला जाता है।”

14. जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने एक फैसले में श्रीमती के रूप में रिपोर्ट किया। अरुणा कुमारी बनाम अजय कुमार 8 निम्नानुसार अभिनिर्धारित हैः

बी.

“4. .....मान लीजिए कि दोनों पक्षों को दोनों मुद्दों के संबंध में साक्ष्य का नेतृत्व करना होगा।यदि मुद्दा संख्या 2 को प्रारंभिक माना जाता है तो पक्षकार निश्चित रूप से मामले में साक्ष्य का नेतृत्व करेंगे और मामले को तेजी से निपटाने के बजाय यह मामले को लंबा करेगा और आदेश XIV, नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित कानून के आधार को विफल कर देगा।

दोनों पक्षों द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्य में लगभग दोनों मुद्दे शामिल होंगे और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि मुद्दा संख्या 2 को प्रारंभिक माना जाए तो मामले की सुनवाई में तेजी लाई जाएगी।जब हम इस मुद्दे पर पूरे कानून की समीक्षा करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां अधिकार क्षेत्र का मुद्दा कानून का एक मिश्रित प्रश्न है और दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य दर्ज करने की आवश्यकता होती है, उसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

सी.

डी.

15. इस न्यायालय ने एक फैसले में इस मामले की भी जांच की है।

रमेश बी. देसाई और ओआरएस. वी. के रूप में रिपोर्ट किया गया।बिपिन वादिलाल मेहता और

ओआरएस। 9 जिसमें यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया थाः"13. आदेश 14 नियम 2 सी. पी. सी. के उपनियम (2) में कहा गया है कि जहां एक ही मुकदमे में कानून और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं, और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी हिस्से का निपटारा केवल कानून के मुद्दे पर किया जा सकता है, तो वह पहले उस मुद्दे का प्रयास कर सकती है यदि वह मुद्दा (ए) न्यायालय की अधिकारिता, या (बी) उस समय लागू किसी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे से संबंधित है।इस नियम के प्रावधान मेजर एस. एस. खन्ना बनाम ब्रिगेडियर मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आए।एफ. जे. डिलन [(1964) 4 एससीआर 409:ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 497] और यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः(एस. सी. आर. पी. 421)

ई.

एफ.

"XXX

XXX "

जी.

यद्यपि संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा आदेश 14 नियम 2 सी. पी. सी. की भाषा में थोड़ा संशोधन किया गया है, लेकिन उपरोक्त उद्धृत निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत अभी भी अच्छा है और है।

8 ए. आई. आर. 1991 जे. एंड के. 1 9 (2006) 5 एस. सी. सी. 638 ए

एच.

59

सत्यनाथ और ए. एन. आर. बनाम.सरोजमानी [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

इस सिद्धांत से कोई विचलन नहीं हो सकता है कि संहिता प्रारंभिक मुद्दे के रूप में कानून और तथ्य के मिश्रित मुद्दों पर मुकदमे की सुनवाई करने के लिए न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है और जहां कानून के मुद्दे पर निर्णय तथ्य के निर्णय पर निर्भर करता है, तो इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं चलाया जा सकता है।"

16. रमेश बी. देसाई के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि मेजर एस. एस. खन्ना में प्रतिपादित सिद्धांत अभी भी सही हैं और संहिता प्रारंभिक मुद्दे के रूप में कानून और तथ्य के मिश्रित मुद्दों पर मुकदमे की सुनवाई करने के लिए न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है और जहां मुद्दे पर निर्णय तथ्य के सवाल पर निर्भर करता है, तो इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं चलाया जा सकता है।उक्त निष्कर्ष आदेश XIV नियम 2 खंड (ए) और (बी) के प्रावधान उद्भूत हुई है है।संशोधन के बाद, न्यायालय को अदालत की अधिकारिता से संबंधित मुद्दे का परीक्षण करने के लिए उप-नियम (2) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'मई' द्वारा विवेकाधिकार दिया गया है, यानी कि क्षेत्रीय और आर्थिक अधिकार क्षेत्र, या किसी भी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे पर रोक जो उस समय लागू है, जैसे कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और विशेष रूप से भूमि सुधारों से संबंधित कई अन्य कानूनों के तहत दीवानी न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करने पर रोक।इसलिए, यदि आदेश XIV नियम 2 को आदेश XII नियम 5 के साथ पढ़ा जाता है, तो न्यायालय से सभी मुद्दों पर एक साथ निर्णय लेने की उम्मीद की जाती है, जब तक कि न्यायालय की अधिकारिता का अवरोध या उप-नियम (2) खंड (ए) और (बी) के संदर्भ में वाद का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है।नियम 2 को प्रतिस्थापित करने का इरादा उस प्रश्न पर एल. आई. एस. का त्वरित निपटान है जो या तो न्यायालय की अधिकारिता को हटा देता है या वादी को सिविल न्यायालय के समक्ष मुकदमा करने से रोकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

17. हम यह बता सकते हैं कि संहिता में संलग्न पहली अनुसूची में सिविल न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए आने वाले मामलों के संबंध में लागू की जाने वाली प्रक्रिया शामिल है।इस तरह की प्रक्रिया न्याय की सहायक है जैसा कि इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले द्वारा निर्धारित किया गया है

एफ.

एल. आर. एस. बनाम द्वारा सरदार अमरजीत सिंह कालरा (मृत) के रूप में रिपोर्ट किया गया। प्रमोद गुप्ता (श्रीमती) (मृत) एल. आर. एस. और ए. एन. आर. 10 जिसमें इसे इस रूप में देखा गया था

इसके अंतर्गतः

"26. प्रक्रिया के कानून प्रभावी ढंग से विनियमित करने, पर्याप्त और वास्तविक न्याय करने के उद्देश्य की सहायता और सहायता करने के लिए हैं और व्यक्तिगत, संपत्ति और अन्य कानूनों के तहत नागरिक के पर्याप्त अधिकारों के गुण-दोष पर निर्णय को भी पूर्ववत करने के लिए नहीं हैं। प्रक्रिया को हमेशा न्याय की दासी के रूप में देखा गया है न कि

जी.

10 (2003) 3 एससीसी 272

एच.

न्याय के उद्देश्य में बाधा डालना या न्याय के गर्भपात को पवित्र बनाना।

18. तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बाद के एक फैसले में कैलाश बनाम नन्हकू और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया। 11 ने अभिनिर्धारित किया कि प्रक्रिया के सभी नियम न्याय की सहायक हैं। प्रक्रियात्मक कानून के प्रारूपक द्वारा नियोजित भाषा उदार या कठोर हो सकती है लेकिन प्रक्रिया निर्धारित करने का उद्देश्य न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

बी.

"28. प्रक्रिया के सभी नियम न्याय की दासी हैं।प्रक्रियात्मक कानून के प्रारूपक द्वारा नियोजित भाषा उदार या कठोर हो सकती है, लेकिन तथ्य यह है कि प्रक्रिया निर्धारित करने का उद्देश्य न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है।एक प्रतिकूल प्रणाली में, किसी भी पक्ष को सामान्य रूप से न्याय वितरण की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।जब तक कानून की स्पष्ट और विशिष्ट भाषा द्वारा मजबूर नहीं किया जाता है, तब तक सी. पी. सी. या किसी अन्य प्रक्रियात्मक अधिनियम के प्रावधानों का इस तरह से अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए जिससे न्यायालय न्याय के उद्देश्यों में असाधारण स्थितियों का सामना करने में असहाय हो जाए।कृष्ण अय्यर, जे. द्वारा सुशील कुमार सेन बनाम बिहार राज्य [(1975) 1 एस. सी. सी. 774] में की गई टिप्पणियां प्रासंगिक हैंः(एस. सी. सी पी.777, पैरा 5-6)

सी.

डी.

“कानून के हाथों न्याय की मृत्यु एक न्यायाधीश की अंतरात्मा को परेशान करती है और कानून सुधारक पर एक क्रोधित पूछताछ की ओर इशारा करती है।

ई.

प्रक्रियात्मक कानून कुछ प्रणालियों में इस तरह हावी है कि मूल अधिकारों और पर्याप्त न्याय पर हावी हो जाता है।मानवतावादी नियम कि प्रक्रिया कानूनी न्याय की दासी होनी चाहिए, न कि मालकिन, न्यायाधीशों को एक अवशिष्ट शक्ति सौंपने पर विचार करने के लिए मजबूर करता है ताकि वे पूर्व-ऋण न्यायसंगत कार्य कर सकें, जहां दुखद अगली कड़ी अन्यथा पूरी तरह से असमान होगी।... न्याय न्यायशास्त्र का लक्ष्य है-प्रक्रियात्मक, उतना ही मूल।”

एफ.

29. पंजाब राज्य बनाम शामलाल मुरारी [(1976) 1 एस. सी. सी. 719:1976 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 118] न्यायालय ने पूर्ण निर्देशों में मध्यस्थता के दृष्टिकोण को बिना किसी स्पष्ट शब्दों में अनुमोदित किया जिसे इस सिद्धांत पर अनिवार्य माना जाता है किः(एस. सी. सी. पी. 720)

जी.

11 (2005) 4 एससीसी 480 ए

एच.

61

सत्यनाथ और ए. एन. आर. बनाम.सरोजमानी [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

“प्रक्रियात्मक कानून एक अत्याचारी नहीं बल्कि एक सेवक होना है, एक बाधा नहीं बल्कि न्याय के लिए एक सहायता है।प्रक्रियात्मक प्रिस्क्रिप्शन नौकरानी हैं न कि मालकिन, एक स्नेहक, न्याय के प्रशासन में प्रतिरोधी नहीं हैं।”

घनश्याम दास बनाम भारत अधिराज्य [(1984) 3 एस. सी. सी. 46] में न्यायालय ने केवल प्रक्रिया से संबंधित विशेषण कानून के एक हिस्से की व्याख्या इस तरह से करने की आवश्यकता को दोहराया कि न्याय के उद्देश्य को पराजित करने के बजाय इसे कम किया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके क्योंकि प्रक्रिया के सभी कानून इस सिद्धांत पर आधारित हैं।”

बी.

19. सुगंधी बनाम पी. राजकुमार 12 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि प्रक्रियात्मक उल्लंघन विरोधी पक्ष के लिए गंभीर रूप से पूर्वाग्रह का कारण नहीं बनता है, तो न्यायालयों को प्रक्रियात्मक और तकनीकी उल्लंघनों पर भरोसा करने के बजाय पर्याप्त न्याय करने की ओर झुकना चाहिए।यह नहीं भूलना चाहिए कि मुकदमा और कुछ नहीं बल्कि सच्चाई की ओर एक यात्रा है जो न्याय की नींव है और न्यायालय को प्रत्येक विवाद में अंतर्निहित सच्चाई को बाहर निकालने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

सी.

डी.

"9. यह अक्सर कहा जाता है कि प्रक्रिया न्याय की दासी है।पर्याप्त न्याय करते समय प्रक्रिया संबंधी और तकनीकी बाधाओं को न्यायालय के रास्ते में नहीं आने दिया जाएगा।यदि प्रक्रियात्मक उल्लंघन गंभीर रूप से विरोधी पक्ष के लिए पूर्वाग्रह का कारण नहीं बनता है, तो अदालतों को प्रक्रियात्मक और तकनीकी उल्लंघन पर भरोसा करने के बजाय पर्याप्त न्याय करने की ओर झुकना चाहिए।हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि मुकदमेबाजी और कुछ नहीं बल्कि सच्चाई की ओर एक यात्रा है जो न्याय की नींव है और न्यायालय को हर विवाद में अंतर्निहित सच्चाई को बाहर निकालने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।इसलिए, न्यायालय को उप-नियम (3) के तहत दस्तावेजों को पेश करने के लिए आवेदन करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।"

ई.

एफ.

20. आदेश XIV नियम 2 के प्रावधान प्रक्रियात्मक कानून का हिस्सा हैं, लेकिन तथ्य यह है कि इस तरह के प्रक्रियात्मक कानून को एल. आई. एस. का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था और प्रारंभिक मुद्दे पर निष्कर्षों को दरकिनार करने की स्थिति में रिमांड की संभावना से बचा जा सकता है, जैसा कि अपरिवर्तित आदेश XIV नियम 2 से पहले की भाषा थी।यदि मुद्दा कानून और तथ्य का मिश्रित मुद्दा है, या कानून का मुद्दा तथ्य के निर्णय पर निर्भर करता है, तो इस तरह के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता है।दूसरे शब्दों में, प्रारंभिक मुद्दे वे हो सकते हैं जहां कोई सबूत नहीं है।

जी.

एच.

12 (2020) 10 एस. सी. सी. 706

आवश्यक है और वाद या लागू कानून को पढ़ने के आधार पर, यदि न्यायालय की अधिकारिता या वाद पर रोक लगाई जाती है, तो न्यायालय त्वरित निर्णय के एकमात्र उद्देश्य के साथ ऐसे मुद्दों पर निर्णय ले सकता है।इस प्रकार, यदि न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है या कोई वैधानिक प्रतिबंध है, तो इस तरह के मुद्दे पर पहली बार में निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि वादियों द्वारा दीवानी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग न किया जाए, जो झूठे बहाने पर कार्यवाही में देरी करने के लिए दीवानी न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

बी.

21. वास्तव में, ए. षण्मुगम बनाम आरिया के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में

क्षत्रिय राजकुला वंशथु मदालय नंदवन परिपलनाई

संगम और ओआरएस। 13, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः“39. हमारी अदालतों में आम तौर पर मामलों की भारी संख्या के कारण समय की कमी होती है और कई बार अदालतें झूठी दलीलों, दावों, बचाव और अप्रासंगिक तथ्यों के कारण गलत निष्कर्ष पर पहुंचती हैं।एक वादी उन तथ्यों से विचलित हो सकता है जो सभी निष्कर्षों के लिए उत्तरदायी हैं।सत्य की खोज की यात्रा में, कभी-कभी, यह न्यायालय, बाद के चरण में, लेकिन एक बार पता चला कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उचित उपचारात्मक और निवारक कदम उठाए ताकि कोई भी कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके लाभ या लाभ प्राप्त न कर सके।न्यायालय को धोखाधड़ी और बेईमान वादियों को प्रभावी ढंग से हतोत्साहित करना चाहिए।”

सी.

डी.

22. ऊपर उल्लिखित उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय रमेश बी. देसाई में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप हैं कि कानून के सभी मुद्दों को प्रारंभिक मुद्दों के रूप में तय नहीं किया जा सकता है।केवल कानून के उन मुद्दों को प्रारंभिक मुद्दों के रूप में तय किया जा सकता है जो "न्यायालय की अधिकारिता" से संबंधित खंड (ए) के दायरे में आते हैं और (बी) जो "किसी भी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे के बार" से संबंधित हैं।” नियम 2 को प्रतिस्थापित करने का कारण टुकड़ों में सुनवाई, लंबी मुकदमेबाजी और मामले के रिमांड की संभावना से बचना है, जहां अपीलीय विचारण न्यायालय उन प्रारंभिक मुद्दों पर निचली विचारण न्यायालय के फैसले से अलग होती है, जिन पर निचली विचारण न्यायालय ने फैसला किया था।

ई.

एफ.

23. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी का विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के फैसलों पर निर्भर करता है जिन्हें अब्दुल रहमान बनाम प्रसॉनी के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

जी.

बाई और अन्र। **14,** श्रीहरि हनुमंतस टोटला बनाम हेमंत विठ्ठल कामत और अन्य। **15** और एल**.** आर**.** द्वारा जामिया मस्जिद बनाम के**.** वी**.** रुद्रप्पा **(**मृत होने के बाद से**)**।

13 (2012) 6 एससीसी 430 14 (2003) 1 एससीसी 488 15 (2021) 9 एससीसी 99 ए

एच.

63

सत्यनाथ और ए. एन. आर. बनाम.सरोजमानी [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

& ओआरएस। **16** यह तर्क देने के लिए कि न्यायिक निर्णय के प्रश्न पर**,** प्रारंभिक मुद्दे को तैयार करने की आवश्यकता है।

24. अब्दुल रहमान के मामले में, यह न्यायालय वर्ष 1999 में अपीलार्थी द्वारा दायर एक मुकदमे की जांच कर रहा था जिसमें यह घोषणा की गई थी कि प्रतिवादी मंगल सिंह की बेटी नहीं है और अपीलार्थी मंगल सिंह के जीवनकाल के दौरान भी प्रतिकूल कब्जे में है।उक्त मुकदमे की सुनवाई के लिए दीवानी मुकदमे के अधिकार क्षेत्र के संबंध में एक अतिरिक्त मुद्दा तैयार किया गया था।उच्च न्यायालय ने कार्यवाही में प्रारंभिक मुद्दे पर मुकदमे को खारिज करते हुए 29.11.2001 पर एक आदेश पारित किया कि क्या वर्तमान दीवानी मुकदमे के विवाद का निर्णय पहले ही न्यायालय द्वारा किया जा चुका है और यह न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है।एक अंतर-न्यायालय अपील दायर की गई थी जिसे 4.12.2001 पर खारिज कर दिया गया था और उसके बाद, मामला इस न्यायालय में चला गया।इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

बी.

सी.

“21. स्वीकार किए गए तथ्यों पर वाद के निपटारे के उद्देश्य से, विशेष रूप से जब प्रारंभिक मुद्दों पर वाद का निपटारा किया जा सकता है, तो उच्च न्यायालय द्वारा किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी।सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 1 के संदर्भ में, एक दीवानी न्यायालय प्रारंभिक मुद्दों पर मुकदमे का निपटारा कर सकती है।यह न तो संदेह में है और न ही विवाद में है कि न्यायपालिका और/या रचनात्मक न्यायपालिका के मुद्दों के साथ-साथ मुकदमे की स्थिरता को भी प्रारंभिक मुद्दों के रूप में निर्णय दिया जा सकता है।वास्तव में, जब तथ्यों को स्वीकार किया जाता है, तो ऐसे मुद्दों को आम तौर पर प्रारंभिक मुद्दों के रूप में तय किया जाना चाहिए।”

डी.

ई.

25. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि यह एक स्वीकृत तथ्य था कि न्यायिक निर्णय और रचनात्मक न्यायिक निर्णय के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्णय दिया जा सकता है।चूँकि यह एक स्वीकृत तथ्य था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि कानून के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है कि न्यायिक याचिका को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जा सकता है।

एफ.

26. श्रीहरि हनुमानदास टोटाला में संपत्ति को गिरवी रखा गया था।

कर्नाटक राज्य वित्त निगम के पक्ष में 17.निगम ने संपत्ति की नीलामी की क्योंकि ऋण का भुगतान नहीं किया गया था।उधारकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों ने 2008 के ओएस नंबर 138 में निगम द्वारा निष्पादित 8.8.2006 दिनांकित बिक्री विलेख और वाद संपत्ति के विभाजन को चुनौती देते हुए एक मुकदमा दायर किया।निगम से खरीदार द्वारा 2007 का एक अलग ओएस नंबर 103 दाखिल किया गया था।खरीदार का ऐसा मुकदमा तय किया गया था

जी.

16 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 792 17 संक्षेप में, 'निगम'

एच.

26.2.2009.उक्त मुकदमे में डिक्री की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा 11.8.2007 पर की गई थी।निगम के खरीदार ने 2008 के ओएस नंबर 138 की शिकायत को अस्वीकार करने के लिए आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर किया।इस तरह के आवेदन को विद्वान निचली विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया था।उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में आदेश की पुष्टि की गई थी जिसमें कहा गया था कि न्यायिक आधार का निर्णय केवल वाद में दिए गए कथनों को देखकर नहीं किया जा सकता है।यह उक्त आदेश है जो इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय बन गया।इस न्यायालय ने पाया कि न्यायिक याचिका के लिए पिछले मुकदमे में दलीलों, मुद्दों और निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता है और ऐसी याचिका आदेश VII नियम 11 के दायरे से बाहर होगी।हालांकि, ऑपरेटिव पैराग्राफ में, यह देखा गया कि निचली विचारण न्यायालय इस बात पर विचार करेगी कि क्या आदेश XIV के तहत एक प्रारंभिक मुद्दा

तैयार किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा है, तो प्रारंभिक मुद्दे को उठाने के तीन महीने की अवधि के भीतर इसका फैसला करना चाहिए।आदेश का कार्यात्मक भाग इस प्रकार हैः

बी.

सी.

“28. उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि वाद आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं था और निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।हालाँकि, हम स्पष्ट करते हैं कि हमने इस बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की है कि क्या बाद का मुकदमा रेस जुडिकाटा के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है।हम अपीलार्थी को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जो के. एस. एफ. सी. द्वारा आयोजित नीलामी में वाद संपत्ति के प्रामाणिक खरीदार के रूप में दावा करता है, 2008 के ओएस संख्या 138 में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, बेलगाम के समक्ष वाद की रखरखाव का मुद्दा उठाने के लिए।अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, बेलगाम इस बात पर विचार करेगा कि क्या आदेश 14 के तहत एक प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा है, तो प्रारंभिक मुद्दा उठाने के 3 महीने की अवधि के भीतर इसका फैसला करें।किसी भी स्थिति में, मुकदमे पर अंत में 31-3-2022 की बाहरी सीमा के भीतर निर्णय लिया जाएगा।”27. इस प्रकार यह न्यायालय संहिता के आदेश VII नियम 11 के दायरे की जांच कर रहा था, जबकि वर्तमान अपील में ऐसा मुद्दा नहीं है। वास्तव में, प्रतिवादी ने प्रारंभिक मुद्दों को तैयार करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।उच्च न्यायालय का निर्देश इस तरह के आवेदन पर है।इसलिए, इस तरह के आवेदन पर संहिता के आदेश XIV नियम 2 के प्रावधानों के आलोक में विचार करने की आवश्यकता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

28. जामिया मस्जिद में, दूसरी अपील में निर्णय और डिक्री जिसमें कहा गया था कि मुकदमा न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत द्वारा वर्जित है, इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय था।विद्वान विचारण विचारण न्यायालय ने प्रारंभिक मुद्दे के रूप में न्यायिक स्थिति और सीमा से संबंधित अंक 5 और 6 का निर्णय लिया।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित नहीं था, लेकिन ए

एच.

65

सत्यनाथ और ए. एन. आर. बनाम.सरोजमानी [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

रेस जुडिकाटा द्वारा वर्जित।अपील में इस तरह के निष्कर्ष की पुष्टि की गई थी।हालाँकि, दूसरी अपील में, मामले को कानून के अनुसार मुकदमे के निपटारे के लिए निचली विचारण न्यायालय में भेज दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि मुकदमा विचारण न्यायालय द्वारा वर्जित नहीं है। इस तरह के फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील में, अपील को उच्च न्यायालय में भेज दिया गया था।उच्च न्यायालय ने रिमांड के बाद कहा कि संहिता की धारा 92 के तहत एक प्रतिनिधि मुकदमे में निर्णय पक्षकारों को मुकदमे के लिए बाध्य करता है और इस प्रकार यह न्यायिक प्रक्रिया के रूप में काम करेगा।

बी.

29. इस न्यायालय के समक्ष अपील में, इस बात पर विचार किया गया कि क्या न्यायपालिका कानून और तथ्यों का मिश्रित प्रश्न उठाती है।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"26. न्यायालय न्यायनिर्णायक याचिका की प्रयोज्यता का विश्लेषण करते समय पहले यह निर्धारित करता है कि क्या धारा 11 सी. पी. सी. की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और यदि इसका उत्तर सकारात्मक में दिया जाता है, तो यह निर्धारित करना होगा कि क्या पहले वाद के घोषित होने के बाद से कानून या तथ्यों में कोई भौतिक परिवर्तन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायनिर्णायक का सिद्धांत लागू नहीं होगा।हम अपीलार्थियों की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि न्यायिक निर्णय को कभी भी प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है।कुछ मामलों में, विशेष रूप से जब कानून या तथ्य का एक मिश्रित सवाल उठाया जाता है, तो सबूत पेश किए जाने के बाद इस मुद्दे को एक पूर्ण परीक्षण का इंतजार करना चाहिए।वर्तमान मामले में, न्यायिक निर्णय के घटकों का निर्धारण पहले के मुकदमों में दलीलों और निर्णयों को चालू करता है जिन्हें रिकॉर्ड में लाया गया है।इस मुद्दे पर निचली न्यायालय और पहली अपीलीय न्यायालय के समक्ष उस आधार पर बहस की गई है; इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष दो दौर की कार्यवाही (दूसरा इस आधार पर कि इस न्यायालय द्वारा रिमांड के आदेश के बाद कि सभी पक्षों को नहीं सुना गया था)।इस मुद्दे को तय करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजी सामग्री न्यायालय के समक्ष है और प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा दलीलों को पूरी तरह से उसी आधार पर संबोधित किया गया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

62. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्षों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत करते हैंः

जी.

(i) बाद के मुकदमे में उत्पन्न होने वाले मुद्दे या तो तथ्य या कानून के प्रश्न या कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न हो सकते हैं।पहले मुकदमे में निर्णय के बाद परिस्थितियों में बदलाव के लिए, न्यायपालिका की याचिका के निर्धारण के लिए एक परीक्षण की आवश्यकता होगी यदि

एच.

एक नया तथ्य सामने आता है जिसे साबित करना होता है।हालाँकि, एक उपयुक्त मामले में न्यायनिर्णायक की याचिका को एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्धारित किया जा सकता है जब इसे हल करने के लिए न तो तथ्य के विवादित प्रश्न और न ही कानून या तथ्य के मिश्रित प्रश्न पर निर्णय लेना पड़ता है।

30. उक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि केवल 5 और 6 अंक का निर्णय दिनांक 1 के निर्णय द्वारा प्रारंभिक मुद्दों के रूप में न्यायिक स्थिति और सीमा के संबंध में लिया गया था। इस न्यायालय ने प्रारंभिक मुद्दे पर निष्कर्ष को दिनांकित 23.9.2021 के निर्णय द्वारा अपास्त करना दिया, यानी लगभग 15 साल से अधिक समय बाद जब मामले को निचली विचारण न्यायालय में वापस भेज दिया गया।सभी मुद्दों पर निर्णय की अनुपस्थिति ने मामले को वापस भेजने की आवश्यकता पैदा कर दी है, जिससे पक्षों के बीच आई. एस. के त्वरित निपटान का उद्देश्य विफल हो गया है।पैरा 62 (i) में निष्कर्ष यह है कि उपयुक्त मामलों में न्यायिक याचिका को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्धारित किया जा सकता है जब यह न तो तथ्य का विवादित प्रश्न है और न ही कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है।इस तरह के निष्कर्ष में इस न्यायालय ने निर्णय दिया है

बी.

सी.

रमेश बी. देसाई।

डी.

31. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का विद्वान निचली विचारण न्यायालय को न्यायिक प्रक्रिया के मुद्दे पर प्रारंभिक मुद्दा तैयार करने का निर्देश देने का आदेश पक्षों के बीच कानूनी प्रक्रिया के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए वांछनीय नहीं है।संहिता के आदेश XIV नियम 2 का हितकारी उद्देश्य था जो न्यायालय को उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन सभी मुद्दों पर निर्णय देने के लिए अनिवार्य करता है।तथापि, यदि एक ही वाद में विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि के मुद्दे पर किया जा सकता है, तो वह पहले उस वाद का परीक्षण कर सकता है, यदि वह न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है या उस समय लागू किसी कानून द्वारा बनाए गए वाद पर रोक है।केवल उन्हीं परिस्थितियों में अन्य मुद्दों पर निष्कर्षों को स्थगित किया जा सकता है। यह विवादित नहीं है कि न्यायनिर्णयन पक्षकारों, वाद के पक्षकारों आदि की दलीलों के आधार पर कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है। यह केवल कानून में एक याचिका नहीं है या जो न्यायालय की अधिकारिता को प्रतिबंधित करती है या उप-नियम (2) के खंड (बी) के तहत एक वैधानिक बाधा है।

ई.

एफ.

जी.

32. आदेश एक्स. एल. आई. नियम 24 और 25 के प्रावधानों का उद्देश्य यह है कि यदि सभी मुद्दों पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य दर्ज विद्वान जाता है, तो यह पहले अपीलीय न्यायालय को मुद्दों में सुधार करके भी तथ्य के प्रश्नों का निर्णय करने में सुविधा प्रदान करेगा।यह केवल तभी होता है जब पहले अपीलीय न्यायालय को पता चलता है कि पक्षों के नेतृत्व में कोई सबूत नहीं है, तो पहला अपीलीय न्यायालय पक्षों को ऐसे अतिरिक्त मुद्दों पर साक्ष्य देने के लिए कह सकता है।

एच.

या तो अपीलीय न्यायालय के समक्ष या विचारण न्यायालय के समक्ष।कानून के ऐसे सभी प्रावधान और संशोधन एक उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए हैं, यानी पक्षों के बीच समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना।

33. प्रारंभिक मुद्दों पर निर्णय के बाद मामले को वापस भेजने की संभावना से बचने के लिए उप-नियम (2) के प्रतिस्थापन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आदेश XIV नियम 2 और आदेश

XX नियम 5 के तहत निचली न्यायालय के लिए और आदेश XLI नियम 24 और 25 के संदर्भ में पहली अपीलीय न्यायालय के लिए सभी मुद्दों पर निष्कर्ष दर्ज करना अनिवार्य है।

बी.

34. इसलिए, प्रारंभिक मुद्दों को तैयार करने के लिए मामले को विद्वान निचली विचारण न्यायालय को भेजने का उच्च न्यायालय का आदेश संहिता के आदेश XIV नियम 2 के जनादेश के विपरीत है और इस प्रकार, कानून में टिकाऊ नहीं है।विद्वत विचारण न्यायालय सभी मुद्दों पर निष्कर्ष दर्ज करेगा ताकि प्रथम अपीलीय न्यायालय को इस प्रकार दर्ज किए गए निष्कर्षों का लाभ मिल सके और यदि वाद का निर्णय केवल प्रारंभिक मुद्दे पर विद्वान जाता है तो रिमांड की संभावना को नजरअंदाज कर सके।

सी.

35. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को इसके द्वारा अपास्त करना कर दिया जाता है।

डी.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.